



भारत का उच्चतम न्यायालय


॥



भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

इतिहास



संरचना

- संख्या: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश
- योग्यता: भारतीय नागरिक; 5 वर्ष के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/10 वर्ष के लिये अधिवक्ता/प्रतिष्ठित न्यायविद्
- कार्यकाल: 65 वर्ष की आयु तक (जब तक वह इस्तीफा नहीं देता है/राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता)
- वेतन: संसद द्वारा निर्धारित
- महाभियोग: राष्ट्रपति द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन पर

क्षेत्राधिकार

मूल, रिट, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार

- मूल: सरकार और राज्यों के बीच विवाद (अनुच्छेद 131); संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)
- रिट: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने के अधिकार (अनुच्छेद 139)
- उच्च न्यायालयों से अपील:
 - संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)
 - सिविल मामले (अनुच्छेद 133)
 - आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134)
 - विशेष अवकाश (अनुच्छेद 136; विवेकाधीन शक्ति)
- सलाहकार: राष्ट्रपति की सलाह (अनुच्छेद 143)

अन्य शक्तियाँ

- अमिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या आदि।
- अनुच्छेद 129: अवमानना हेतु दंडित करने की शक्तियाँ
- अनुच्छेद 137: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा
- अनुच्छेद 141: उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं
- अनुच्छेद 142: उच्चतम न्यायालय के आदेश और अध्यादेश लागू करने का अधिकार
- अनुच्छेद 147: उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है

उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश: आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- तदर्थ न्यायाधीश: कोरम संबंधी मुद्दों के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त कर सकते हैं



और पढ़ें: [भारत का उच्चतम न्यायालय](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-of-india-2>

